न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	मूलचन्द लूणिया (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या	:	14/2022
दायर दिनांक	:	11.03.2022
निर्णय दिनांक	:	21.05.2025

1. अमरपाल पुत्र बिहारीलाल जाति मीणा, निवासी छतरीवाली ढाणी दौसा खुर्द तहसील व जिला दौसा
2. रामप्रताप पुत्र बिहारीलाल जाति मीणा, निवासी छतरीवाली ढाणी दौसा खुर्द तहसील व जिला दौसा
3. रामराज पुत्र बिहारीलाल जाति मीणा, निवासी छतरीवाली ढाणी दौसा खुर्द तहसील व जिला दौसा
4. भोलीदेवी पत्नी बिहारीलाल जाति मीणा, निवासी छतरीवाली ढाणी दौसा खुर्द तहसील व जिला दौसा
5. उगन्ती पुत्री बिहारीलाल जाति मीणा, निवासी छतरीवाली ढाणी दौसा खुर्द तहसील व जिला दौसा
6. कस्तूरी पुत्री बिहारीलाल जाति मीणा, निवासी छतरीवाली ढाणी दौसा खुर्द तहसील व जिला दौसा
7. सुनीता पुत्री बिहारीलाल जाति मीणा, निवासी छतरीवाली ढाणी दौसा खुर्द तहसील व जिला दौसा

प्रार्थीगण

बनाम

1. देशराज पुत्र छुट्टनलाल जाति मीणा, निवासी छतरीवाली ढाणी दौसा खुर्द तहसील व जिला दौसा
2. भगवानसहाय पुत्र छुट्टनलाल जाति मीणा, निवासी छतरीवाली ढाणी दौसा खुर्द तहसील व जिला दौसा
3. भजनलाल पुत्र छुट्टनलाल जाति मीणा, निवासी छतरीवाली ढाणी दौसा खुर्द तहसील व जिला दौसा
4. उर्मिला पुत्री छुट्टनलाल जाति मीणा, निवासी छतरीवाली ढाणी दौसा खुर्द तहसील व जिला दौसा
5. अशोक पुत्र रामकिशोर जाति मीणा, निवासी छतरीवाली ढाणी दौसा खुर्द तहसील व जिला दौसा
6. ओमप्रकाश पुत्र रामकिशोर जाति मीणा, निवासी छतरीवाली ढाणी दौसा खुर्द तहसील व जिला दौसा
7. सुरेश पुत्र रामकिशोर जाति मीणा, निवासी छतरीवाली ढाणी दौसा खुर्द तहसील व जिला दौसा
8. उगन्ती पत्नी रामकिशोर जाति मीणा, निवासी छतरीवाली ढाणी दौसा खुर्द तहसील व जिला दौसा
9. रीना पुत्री रामकिशोर जाति मीणा, निवासी छतरीवाली ढाणी दौसा खुर्द तहसील व जिला दौसा
10. इन्द्र कुमार पुत्र हरिनारायण जाति मीणा, निवासी छतरीवाली ढाणी दौसा खुर्द तहसील व जिला दौसा

उपखण्ड अधिकारी दौसा

Signature Not Verified
Digitally Signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:42:38 IST
Reason: Self Attested

11. कैलाश चन्द पुत्र हरिनारायण जाति मीणा, निवासी छतरीवाली ढाणी दौसा खुर्द तहसील व जिला दौसा
12. गणपतलाल पुत्र हरिनारायण जाति मीणा, निवासी छतरीवाली ढाणी दौसा खुर्द तहसील व जिला दौसा
13. निरंजनसिंह पुत्र हरिनारायण जाति मीणा, निवासी छतरीवाली ढाणी दौसा खुर्द तहसील व जिला दौसा
14. महेश कुमार पुत्र हरिनारायण जाति मीणा, निवासी छतरीवाली ढाणी दौसा खुर्द तहसील व जिला दौसा
15. रघुनन्दन पुत्र हरिनारायण जाति मीणा, निवासी छतरीवाली ढाणी दौसा खुर्द तहसील व जिला दौसा
16. सीताराम पुत्र हरिनारायण जाति मीणा, निवासी छतरीवाली ढाणी दौसा खुर्द तहसील व जिला दौसा
17. पार्वती पुत्री गंगाधर जाति मीणा, निवासी छतरीवाली ढाणी दौसा खुर्द तहसील व जिला दौसा
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा
19. पंजाब नेशनल बैंक शाखा कार्यालय दौसा जिला दौसा जरिये शाखा प्रबन्धक

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

—: निर्णय :—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया कि ग्राम दौसा खुर्द तहसील दौसा में स्थित कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 22 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 99 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा का खातेदार क़ाबिज काश्तकार सेटलमेन्ट पूर्व बिहारीलाल पुत्र देवबक्स जाति मीणा साकिन देह संवत् 2034 से 2037 राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में दर्ज है। उक्त साबिक खसरा नम्बर के भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान हाल खसरा नम्बर 98 रकबा 0.65 है., खसरा नम्बर 266 रकबा 0.71 है. कायम किये गये हैं। यह कि बिहारीलाल पुत्र देवबक्स जाति मीणा की मृत्यु हो चुकी है, जिसके वारिसान प्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 हैं। मृत्तक खातेदार बिहारीलाल की विरासत का नामान्तकरण अभी नहीं खुला है। यह कि सेटलमेन्ट की कार्यवाही के दौरान साबिक रकबे की तुलना में उक्त वादग्रस्त भूमि का हाल रकबा सेटलमेन्ट विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा गलत व मनमानेपूर्ण तरीके से राजस्व अभिलेख जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस में कम कर दिया है एवं कम किये गये रकबे को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 17 के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस में शामिल कर दिया है। उक्त गडबडी गलत अवैध अमान्य व प्रभावशून्य है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमि साबिक खसरा नम्बर 22 व 99 हाल खसरा नम्बर 98 व 266 के साबिक खसरा नम्बरान के रकबे के अनुसार प्रार्थीगण के उपभोग करने में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 17 स्वयं को अपने परिजन सेवक साथियों सहित ताफैसला वादपत्र जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा प्रतिबन्धित फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

उपखण्ड अधिकारी दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:42:38 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के संबंध में तथ्य निम्न प्रकार है :–

1. **प्रथम दृष्ट्या मामला** : पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी आधार सम्वत् 2071–2074 का अवलोकन करने पर ग्राम दौसा खुर्द तहसील दौसा स्थित प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 98 रकबा 0.65 है॰ एवं खसरा नम्बर 266 रकबा 0.71 है॰ की खातेदारी बिहारी पुत्र मु॰ देवबक्स जाति मीणा के नाम दर्ज होने की पुष्टि होती है। पत्रावली पर उपलब्ध मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध सम्वत् 2071 अनुसार हाल खसरा नम्बर 98 एवं 266 के साबिक खसरा नम्बर क्रमशः 22 एवं 99 रहे हैं। पत्रावली पर उपलबध जमाबन्दी सम्वत् 2034–2037 का अवलोकन करने पर ग्राम दौसा खुर्द तहसील दौसा के साबिक खसरा नम्बर 22 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 99 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा की खातेदारी बिहारी पि॰मु॰ देवबक्स जाति मीना के नाम दर्ज होने की पुष्टि होती है। इस प्रकार भू–प्रबन्ध पूर्व जमाबन्दी एवं भू–प्रबन्ध पश्चात् की जमाबन्दी का अवलोकन करने पर प्रश्नगत खसरा नम्बरान के साबिक रकबे एवं हाल रकबे में तुलनात्मक रूप से भिन्नता प्रतीत होती है। प्रतीत होता है कि साबिक रकबे की तुलना में हाल रकबा कम अंकित किया गया है। प्रार्थीगण का कथन है कि उक्त कम किये गये रकबे को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 17 के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस में शामिल कर दिया गया है किन्तु इसकी पुष्टी प्रकरण से संबंधित दावा पत्रावली में साक्ष्यों द्वारा साबित किये जाने के पश्चात् ही सम्भव है। चूँकि प्रश्नगत आराजी की खातेदारी वर्तमान में खातेदार बिहारी पुत्र मु॰ देवबक्स जाति मीणा के नाम दर्ज है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उक्त खातेदार बिहारी पुत्र मु॰ देवबक्स जाति मीणा को फौत होना बताया गया है एवं प्रार्थीगण द्वारा स्वयं को उक्त खातेदार के वारिस होना बताया गया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।
2. **सुविधा का सन्तुलन** : प्रश्नगत आराजी की खातेदारी वर्तमान में खातेदार बिहारी पुत्र मु॰ देवबक्स जाति मीणा के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त खातेदार को फौत होना बताते हुए स्वयं को उक्त खातेदार के वारिस होना बताया है। अतः सुविधा के सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।
3. **अपूर्णीय क्षति** : प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने के फलस्वरूप अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्धारित किया जाता है।

अतः प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने के फलस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर उभय पक्षकारान को प्रकरण से संबंधित दावा पत्रावली के निस्तारण तक ग्राम दौसा खुर्द तहसील दौसा स्थित खसरा नम्बर 98 एवं 266 के साबिक खसरा नम्बर 22 एवं 99 के रकबे की मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु पाबन्द किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा बाद मेरे हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:42:38 IST
Reason: SelfAttested

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा

उपखण्ड अधिकारी
दौसा